

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 जून, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न 03 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षेत्र 0का0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 20.00 किमी0 एवं 07 सेतु तथा लागत ₹ 40.10 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 40.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न तालिका के कॉलम-5 के अनुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 03 कार्यों हेतु ₹ 0.30 (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके नियन्त्रण में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तादोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवधानानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित न होने वाले जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वजार मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उपरान्तानुसार स्वीकृत आगणन में एग0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के अ में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 ला. तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00

Recorded
File

24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि का निष्पन्न जायेगा।

204

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की पूर्णवृत्ता एवं समयवृद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अभियन्ताओं को भेजना होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक संचालित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतंत्रता समझी जायेगी।

(12) इस संबंध में होने वाला व्यय करीबान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान रा0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम से किया जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-137/XXVII(2)/2016 दिनांक 01 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हर्गोनी)
प्रभासी सचिव

संख्या- / 111(2)/16-15(प्रा0आ0)/2016 तददिनांक।

प्रातिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरस मोटर्स विल्डिंग, गाजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रा0, लोनिवि0, पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोनिवि0, पिथौरागढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि0, नैनीताल।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांमती)
सचिव

संख्या 1860 / 111(2)/16-15(प्र03आ0)/2016 दिनांक 26 जून, 2016 का संलग्नक।

203

(धनसांश लागू र म)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	मालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनसांश।
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बौन से गो तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण)	5.00 +2 सेतु	9.50	0.10
2	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत धारचूला सेला से चल तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रथम चरण)	7.00 +3 सेतु	18.10	0.10
3	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत चल से बौन तक मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माण।(प्रथम चरण)	8.00 +2 सेतु	12.50	0.10
	कुल	20.00 +7 सेतु	40.10	0.30

(कुल ₹ तीस हजार मात्र)

(ए०ए०सी० प्रांगती)

उप सचिव